न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः— 12/125/2024 रजू दिनांकः 17.09.2024 रजि0 न0 2024/222

अपीलार्थीः—

श्री विकम कक्कड पुत्र श्री गिर्राज कुमार कक्कड, निवासी—17, अम्बेडकर नगर, कुन्हाडी, कोटा, (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 21.10.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.09.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि सूचना आवेदन कमाक 4643/12.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2024 में बिन्दु संख्या 01 से 08 की सूचना न्यास द्वारा पत्रांक 4915 दिनांक 23.08.2024 से बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब एवं संलग्नक पत्रादि के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2024 में प्रत्यर्थी द्वारा जारी कार्यालय आदेश के पत्रांक/दिनांक (बिन्दु संख्या 1 से 3) का स्पष्ट अंकन किया गया है। जिनके परिपेक्ष्य में ही उप—बिन्दु संख्या 1 से 8 तक में विविध अभिलेख यथा—नोटशीट, राजकाज पत्रावलियां, जारी निर्देश एवं नोटशीट्स की सूचना चाही गई है। जिस हेतु अपीलार्थी द्वारा विहित प्रतिलिपि शुल्क भी जमा राजकोष कराया गया है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा विनिश्चय किया गया है कि सूचना संकलित किये जाने एवं नई सूचना का सृजन करना सम्भव नही है, जो विधिसम्मत एवं उचित प्रतीत नही होता है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः प्रत्यर्थी के अस्पष्ट जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक 06.08.2024 के परिपेक्ष्य में आपके अभिलेख पर संधारित/उपलबध बिन्दुवार सूचना से उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)